RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

# न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 14/2023

**प्रार्थी–**

1. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रकाश जाति मेहतर(घारू) निवासी गोर का वास, सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण–**

1. श्री रूपाराम के कायम मुकाम
   - 1.1 श्री श्यामलाल पुत्र रूपाराम
   - 1.2 श्री जगदीश पुत्र रूपाराम
   - 1.3 श्री राजु पुत्र रूपाराम
   - 1.4 श्री गणपत पुत्र रूपाराम
   - 1.5 श्री कन्हैयालाल पुत्र रूपाराम
   - 1.6 श्री अरविन्द पुत्र रूपाराम
   - 1.7 श्री उदय पुत्र रूपाराम
   - 1.8 श्रीमती शायरी देंवी पतनी रूपाराम जातियान हरिजन, निवासीयान मौहल्ला गोरखावास,सिवाना
   - 1.9 श्रीमती विमला पुत्री रूपाराम जाति हरिजन, निवासी रामदेव चौक सांचौर।
   - 1.10 श्रीमती रेखा पुत्री रूपाराम के कायम मुकाम

   1/10/1 मोनिका पुत्री दशरथ

   1/10/2 निकीता पुत्री दशरथ

   1/10/3 अशोक पुत्र दशरथ जातियान हरजिन (क्र.स 1/10/1 से 1/10/3 नाबालिग जरिये कुदरती पिता दशरथ जाति हरिजन निवासी बाटाडू)
2. श्रीमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बालोतरा।

जिला कलक्टर
बालोतरा

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.07.2009 जो अप्रार्थी सं. 01 के नाम ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपील श्रीमाली, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/8 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1/9, 1/10/1, 1/10/2, 1/10/3 स्वयं बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. श्री कैलाशपुरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

## निर्णय

**दिनांक : 29.07.2025**

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.07.2009 के विरूद्ध दिनांक 05.11.2019 को न्यायालय अति जिला कलक्टर, बाड़मेर व दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 रूपाराम पुत्र नवाराम के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सिवाना में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.07.2009 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 740.83 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में आम रास्ता व 38 फीट, दक्षिण में सकरू खां पुत्र बक्सु खा व 37 फीट, पूर्व में बदामी देवी पत्नी गंगलाल व 115 फीट, पश्चिम में सुरेन्द्र कुमार पुत्र नवाराम व 111 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सिवाना से निगरानीधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से जवाब में कथन किया कि वादग्रस्त भूखण्ड पूर्व में सुरेन्द्रकुमार व रूपाराम के संयुक्त 1/2 हक–हिस्से का रहवासीय भूखण्ड था, जिसमें दोनो भाई अपने पिता नवारामजी के साथ रहवास करते थे तथा साथ रहवास के दरम्यान नवारामजी ने अपने जीवन काल में पश्चिमी हिस्से में कच्चे

जिला कलक्टर
बालोतरा

व पक्के मकान बनाकर रहवास किया जा रहा था। बाद में नवाराम के बड़े पुत्र सुरेन्द्रकुमार द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में उनकी मौजूदगी में पारिवारिक मौखिक बंटवाड़ा के जरिये 1/2 हक हिस्सा स्वयं के पास रखा व शेष 1/2 पूर्वी हिस्सा अप्रार्थीगण के पूर्वज रूपारामजी के हक हिस्से में रखा यानि की प्रार्थी द्वारा वर्णित माप–चौक की भूमि एवम् रूपाराम के हक हिस्से की पटटासुद भूमि संयुक्त शामलाती भूखण्ड था। जो पारिवारिक भाई बंट में रुपाराम व सुरेन्द्रकुमार प्रत्येक को 1/2 हक–हिस्से के रूप में मिला जिससे रूपाराम द्वारा अपने 1/2 हक हिस्से की भूमि के अनुरूप ही पटटा प्राप्ति का आवेदन करने पर हक–हिस्से के अनुरूप ही ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया गया। जिसका ज्ञान प्रार्थी व उसके पिता को बखूबी था। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलोच्य पट्टा पंचायतीराज अधिनिमय के तहत नियमानुसार हक–हिस्से के अनुरूप जारी किया गया है। अप्रार्थी के पूर्वज रूपारामजी के हक में जारी पटटे की जानकारी प्रार्थी को पहले से होने के बावजुद भी यह निगरानी पेश की गई है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा लंबे समय बाद बिना किसी आधार के निगरानी पेश की है, जो कि म्याद बाहर पेश की है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर पेश होने से प्रार्थीगण द्वारा पेश निगरानी खारिज योग्य है।

5. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा भूखण्ड मौजा सिवाना, सिपाहियों का वास, सिवाना, तहसील सिवाना की आबादी भूमि पर आया हुआ है। प्रार्थी के पिता ने श्री बख्तावरदान से कुछ ऋण लिया था। जिसका प्रार्थी के पिता के विरूद्ध दावा होने पर 3,48,000/– रूपये अक्षरे तीन लाख अड़तालीस हजार रूपये की डिकी श्रीमान सिविल न्यायाधीश बालोतरा के नाम से सादिर हुई थी व उक्त ऋण का भुगतान समय पर नही होने के कारण उक्त न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 05.03.2005 प्रार्थी का उक्त पैतृक मकान कुड़क कर दिया गया था। कुर्की की राशि का समस्त भुगतान प्रार्थी द्वारा डिकीदार को करने पर दिनांक 09.01.2017 को प्रार्थी का मकान कुर्की से मुक्त हो चुका है। प्रार्थी ने उक्त पैतृक मकान पर अपने पुराने आवास के आधार पर ग्राम पंचायत से पट्टा हासिल करने के लिये दिनांक 13.03.2001 को आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके साथ में नक्शा फीस के दो रूपये जमा करवाने पर ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया गया था। किन्तु उक्त पत्रावली संख्या 4405/45 दिनांक 14.03.2001 में प्रार्थी का उक्त मकान कुर्क हो जाने के कारण पट्टा जारी होने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हो नही सकी। प्रार्थी के पुश्तैनी मकान में पट्टे की कार्यवाही डिकीदार बख्तावरदान के प्रार्थना पत्र पर रोक लगाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 रूपाराम ने गुप्त रूप से प्रार्थी के मकान के पूर्व में स्थित अपने मकान का पट्टा प्राप्त करने के लिये साजशी कार्यवाही की जिसमें अप्रार्थी रूपाराम ने अपने मकान की उत्तरी भूजा जो वास्तव में 35 फुट थी उसे 38 फुट बता कर तथा दक्षिणी भूजा जो वास्तव में 36 फुट थी उसे 37 फुट बता कर पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.07.2009 को कथित पत्रावली संख्या 12 सन् 2004 में दिनांक 20.07.2009 को जारी करवाया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 स्वर्गवास (10.09.2019) के पूर्व दिनांक 01.09.2019 उसे उलाहना दिया तो उसने बताया कि मेरे भुखण्ड़ का जितना पट्टा है उस पर हम कब्जा करेगे और मुझे ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। तत्पश्चात

जिला कलक्टर
बालोतरा

दिनांक 28.09.2019 दोपहर के समय अप्रार्थी जगदीश, गणपत व अरविन्द लाठिया लेकर एकराय होकर हमलावर होकर हमारे मकान में घुसे और हमारे साथ झगड़ा करने लगे। इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी के पक्ष में विवादित पट्टा अवैध रूप से जारी होने का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 01.09.2019 को हुआ। अधीनस्थ अधिकारी ग्राम पंचायत सिवाना ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.07.2009 मिसल संख्या 12 में जारी करने में विधि एवं नियमों की भारी मूल की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की कार्यवाही गलत रूप से अंकित करके विवादित पट्टा जारी किया है। तथाकथित आज्ञाओ की सूची देखने से ही यह प्रकट होता है कि पत्रावली दर्ज होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा नियम 146 के तहत कोई मौका कमेटी का गठन ही नहीं किया गया और मौका रिपोर्ट गठन के पूर्व ही आपतियां आमंत्रण करने का नोटिस 15 रोज का जारी किया गया है। इतना ही नही आदेशिका दिनांक 20.07.2009 साधारण बैठक की दिनांक में कांट छांट है, जिससे यह प्रकट होता है कि सारी कार्यवाही बाद में की गई और पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में बाद में कांट छांट की गई तथा दिनांक 20.07.2009 को पट्टा जारी करने का जो आदेश अंकित है उसमें प्रस्ताव संख्या का कालम खाली है। राजस्थान पंचायत राज नियम 146 के अंतर्गत विवादित भूमि का मौका देखने के लिये तीन पंचो की कमेटी गठीत करने का प्रावधान है लेकिन पत्रावली पर जो मौका कमेटी की रिपोर्ट उपलब्ध है उस पर केवल दो पंचो के ही हस्ताक्षर है। इसी प्रकार आपतियां आमंत्रण करने की जो सूचना जारी हुई है कि उसमें भी किसी एक व्यक्ति का अगुठा निशान व एक व्यक्ति के हस्ताक्षर विद्यमान है किन्तु उस व्यक्ति के पिता का नाम, जाति या निवास स्थान अंकित नही है जिससे भी यह नोटिस बनावटी प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 1 रूपाराम ने अपने आवेदन पत्र के पक्ष में जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें अपनी विवादित भूमि के न तो पाडौस अंकित किये है ओर न ही नाप अंकित किया है और न ही तारीख अंकित की है। इसी प्रकार गवाह बक्सू खां और मोहम्मद शाकीर के जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये है उसमें विवादित भूमि के न तो नाप अंकित है और न ही पाडौस अंकित है और न ही तारीख अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी रूपाराम के नाम उक्त आलोच्य भूखण्ड का पट्टा पूर्णतया विधि के प्रतिकूल, अवैधानिक, अनियमित तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/8 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज रहवासीय भूखण्ड मौजा सिवाना की आबादी भूमि सिवाना में आया हुआ है। वादग्रस्त भूखण्ड पूर्व में सुरेन्द्रकुमार व रूपाराम के संयुक्त 1/2 हक–हिस्से का रहवासीय भूखण्ड था, जिसमें दोनो भाई अपने पिता नवारामजी के साथ रहवास करते थे तथा साथ रहवास के दरम्यान नवारामजी ने अपने जीवन काल में पश्चिमी हिस्से में कच्चे व पक्के मकान बनाकर रहवास किया जा रहा था। बाद में नवाराम के बड़े पुत्र सुरेन्द्रकुमार द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में उनकी मौजूदगी में पारिवारिक मौखिक बंटवाड़ा के जरिये 1/2 हक हिस्सा स्वयं के पास रखा व शेष 1/2 पूर्वी हिस्सा अप्रार्थीगण के पूर्वज रूपारामजी के हक हिस्से में रखा यानि की प्रार्थी द्वारा वर्णित माप–चौक की भूमि एवम् रूपाराम के हक हिस्से की पटटासुद भूमि

जिला कलक्टर
बालोतरा

संयुक्त शामलाती भूखण्ड था। पारिवारिक भाई बंट में रुपाराम व सुरेन्द्रकुमार प्रत्येक को 1/2 हक–हिस्से के रूप में मिला, जिससे रूपाराम द्वारा अपने 1/2 हक हिस्से की भूमि के अनुरूप ही पटटा प्राप्ति का आवेदन करने पर हक–हिस्से के अनुरूप ही ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया गया। जिसका ज्ञान प्रार्थी व उसके पिता को बखूबी था। अप्रार्थी के पूर्वज रूपारामजी के हक में जारी पटटे की जानकारी प्रार्थी को पहले से होने के बावजुद भी यह निगरानी पेश की गई है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में जारी आालोच्य पट्टा फर्जी होना बताया गया, लेकिन प्रार्थी द्वारा फर्जी पट्टा होने के संबंध में किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं करवाया गया है और न ही प्रश्नगत पट्टा फर्जी होने पर किसी भी पंचायत राज संस्था के द्वारा उपरोक्त पटटे को अपनी जांच में फर्जी करार दिया हो। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पुर्ण नियम के प्रावधानों की पालना करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। पत्रावली में सलंग्न अप्रार्थी जगदीश पुत्र रूपाराम जाति मेहतर के नाम पानी कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन ले रखा तथा अप्रार्थी का राशन कार्ड व पक्के मकान बने हुए है तथा विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का अवासीय मकान कई वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का ही कब्जा होना प्रतीत होता है। विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा मौजुद नहीं रहा क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होना प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर अप्राथीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में सारे तथ्य गलत, निराधार एवं भ्रम उत्पन्न करने हेतु अभिकथित किये है जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में विधि अनुसार पट्टा जारी किया हैं तथा इसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की हैं। साथ ही कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा लंबे समय बाद बिना किसी आधार के निगरानी पेश की है, जो कि म्याद बाहर पेश की है। उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 नियम 157(1) के तहत विधिसम्मत प्रकिया अपनाकर अप्रार्थी रूपाराम के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार वीहिन एवं म्याद बाहर पेश होने से तथा प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अप्रार्थी संख्या 1/9, 1/10/1, 1/10/2, 1/10/3 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गए, जो तामिल प्राप्त होने के उपरांत भी स्वयं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2009 को ग्राम पंचायत सिवाना की ओर से जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 45 के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज रूपाराम पुत्र नवाराम जाति हरीजन(मेहतर) निवासी सिवाना के पक्ष में आलोच्य

जिला कलक्टर
बालोतरा

पट्टा जारी किया गया, जो फर्जी है एवं उक्त प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पंचायत नियमों के तहत कोई पत्रावली कायम नहीं की गई और न ही पंचायत राज नियमों की पालना की गई। उक्त तथाकथित पट्टा से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड या दस्तावेज नहीं है तथा उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा है। इस संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा मिसल सं. 19/2010 पर पंचायत की बैठक में मिसल फैसल दिनांक 20.07.2009 में पारित संकल्प सं. 5 दिनांक 20.07.2009 के अनुसरण में नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश करते हुए आलौच्य पट्टा सं. 45 दिनांक 20.07.2009 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं। उक्त प्रश्नगत पट्टा कार्यालय उपपंजीयक, सिवाना द्वारा पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 126, पृष्ठ संख्या 106, क्रम संख्या 20010001807 पर पंजीबद्ध करते हुए दिनांक 04.08.2010 को पंजीबद्ध किया गया है, होना पाया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का विधिसम्मत प्रकिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत अप्रार्थीगण के पूर्वज रूपाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.07.2009 को जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर कार्यालय नगरपालिका सिवाना के पत्र में अवगत कराया गया हैं कि ग्राम पंचायत सिवाना से उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित मूल रेकर्ड पट्टा बूक एवं मिसल ही प्राप्त हुआ है एंव बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से नगरपालिका को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे पेश नहीं किया जा सकता, होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित किया जाना पाया जाता है तथा यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा अप्रार्थी पर नहीं डाला जा सकता हैं। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पैतृक स्वामित्व व सामलाती का कब्जा कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थीगण की ओर से स्वामित्व की पुष्टि हेतु ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थीगण का हैं। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप आलोच्य पट्टा संख्या 45 दिनांक 20.07.2009 को बहाल रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

10. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा